न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 142/16 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2016/00429

अनवान्

1. श्रीमती कमलाबाई पुत्री भेरा पत्नी मोहनलाल डांगी निवासी फतहपुरा तहसील मावली।

..............प्रार्थीयां

बनाम

1. श्रीमती झमकुबाई पुत्री भेरा पत्नी हेमा डांगी निवासी रेड बांसलिया तहसील मावली।
2. श्रीमती सकुबाई पुत्री भेरा पत्नी रूपा डांगी निवासी टु मन्देसर तहसील वल्लभनगर।
3. श्रीमती नकारीबाई उर्फ नकाबाई पुत्री भेरा पत्नी रतनलाल डांगी निवासी फतहपुरा तहसील मावली।
4. श्री रतनलाल पिता भेरा डांगी निवासी फतहपुरा तहसील मावली।
5. श्रीमती कंकुबाई पत्नी भेरा डांगी निवासी गादोली तहसील मावली।
6. पटवारी, पटवार हल्का गादोली तहसील मावली।
7. उप पंजीयक अधिकारी, पंजीयन कार्यालय मावली तहसील मावली।
8. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रोशनलाल डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीयां।

2. श्री शंकरलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1
3. श्री सुरेश चन्द्र डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 3 से 5

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 26.11.2025

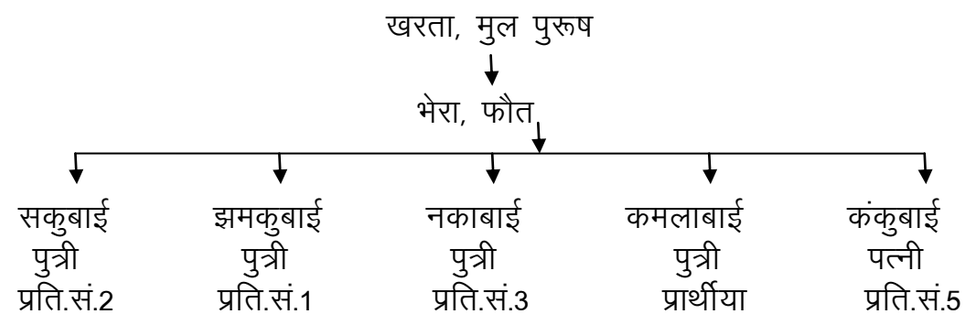

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के परिवार खानदान का सजरा निम्न हैं :–

2. यह कि मौजा गादोली पटवार हल्का [illegible] के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 1441, 1505, 1533, 1534, 1535, 1559 [illegible] 6 कुल रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1443 रकबा 7 बिस्वा, परिशष्ट ग में वर्णित आराजी नम्बर 1536 रकबा 11 बिस्वा एवं परिशिष्ट घ में वर्णित आराजी नम्बर 1437, 1440, 1442, 1444, 1447, 1503, 1516, 1517, 1522, 1523, 1540, 1546, 1547, 1557 किता 14 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा स्थित हैं।

3. यह कि वादग्रस्त आराजीयात वादीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 के मौरूस खरता के समय की होकर खरता डांगी अपने जीवनकाल में काबिज होकर काश्त करता था। खरता का निधन आज से 70–72 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा खरता का एकमात्र पुत्र भेरा था। खरता के निधन के समय भेरा 7–8 वर्ष का होकर नाबालिग अवस्था में था। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी हुआ उससे पहले ही खरता का निधन हो गया था इसलिए राजस्व अभिलेख प्रथम जमाबन्दी तैयार करते समय भेरा पिता खरता डांगी का नाम ही अंकित हो गया जबकि वादग्रस्त भूमि न तो भेरा की खरीदशुदा सम्पति है और न ही भेरा की किसी तरह स्वअर्जित सम्पति हो सकती है। भेरा उस समय नाबालिग ही था। भेरा के पिता खरता का निधन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पूर्व ही हो जाने से राजस्व अभिलेख राजस्व अधिकारियों द्वारा तैयार किया उसमें भेरा का नाम ही अंकित कर दिया जबकि वास्तविक रूप से वादग्रस्त भूमि खरता के समय की होकर प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 की मौरूसी जायदाद हैं। भेरा का निधन दिनांक 03.05.2016 को हो गया।

4. यह कि वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 तक का एवम् इनके पिता/पति भेरा का समान हक हिस्सा बनता है यानि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 तक प्रत्येक का भी 1/6–1/6 हक हिस्सा बनता है तथा मृतक खातेदार भेरा का भी 1/6 हिस्सा बनता था भेरा एवं भेरा के वारिसान प्रत्येक का 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा बनता था। इस तरह वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 के पिता/पति भेरा डांगी को सम्पूर्ण भूमि को यानि अपने हिस्से से अधिक भूमि किसी तरह से विक्रय हस्तान्तरण मुत्तकिल आदि करने का कोई विधिक हक अधिकार नहीं था। मृतक खातेदार भेरा ने बिना अधिकार के अपने जीवनकाल में दिनांक 04.03.2008 को एवम् 25.02.2008 को नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर आराजी नम्बर 1536 आ.चा. में से अपना हिस्सा छोडकर शेष सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि में से अपना हक हिस्सा अपनी पुत्री विपक्षी संख्या 3 एवम् अपने जमाई विपक्षी संख्या 4 को विक्रय कर दी जबकि मृतक खातेदार भेरा पिता खरता डांगी को वादग्रस्त भूमि में उसके नाम पर अंकित हिस्से में से 1/6 हक हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि इस तरह मृतक खातेदार भेरा पिता खरता डांगी का वादग्रस्त भूमि में से अपने नाम पर अंकित हक हिस्से में से 1/6 हक हिस्से से अधिक हिस्से का किया गया अन्तरण विक्रय पत्र एबियोनिश्यों वॉयड होकर शून्य प्रभावी है इस तरह के शून्य व अवैध विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 3 व 4 को वादग्रस्त भूमि में कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है तथा मृतक खातेदार भेरा पिता खरता डांगी का अपने हिस्से से अधिक किया गया अन्तरण प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 व 5 के हक अधिकारों को कतई प्रभावी नहीं करते हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 व 5 का प्रत्येक का अपने 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 हक हिस्से अनुसार भेरा पिता खरता डांगी के जीवनकाल से ही काबिज हो काश्त करते आ रहे है तथा कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है। इस तरह प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 व 5 वास्तविक रूप से काश्तकार है लेकिन मृतक खातेदार भेरा पिता खरता डांगी द्वारा नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर भूमि का अन्तरण विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम पर करने से वादग्रस्त भूमि उनके नाम पर नामान्तरित हो गई जिससे प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 व 5 के नाम पर भूमि राजस्व अभिलेख में नाम पर दर्ज नहीं होने से इनके हक व अधिकार प्रभावित हो रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया वादग्रस्त भूमि में वाद पत्र में अंकित हक हिस्से अनुसार भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने की घोषणा कराने की कानूनी अधिकारिणी है तद्नुसार राजस्व अभिलेख से विपक्षी संख्या 3 व 4 का हिस्सा कम कराने की अधिकारिणी हैं।

6. यह कि विपक्षी संख्या 3 व 4 राजस्व अभिलेख में गलत इन्द्राज के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से विक्रय, बैह, बक्षीस मुन्तकिल या अन्य किसी प्रकार का हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा प्रार्थीया को अपने हक हिस्से व आधिपत्य की जमीन से बेदखल करने की धमकी दे रहे है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण के विरूद्व शाश्वत निषेधाज्ञा जारी कराने की भी प्रार्थीया कानूनन अधिकारिणी हैं। प्रार्थीया का मौके पर निर्बाध रूप से अपने हिस्से अनुसार कब्जा चला आ रहा है और प्रार्थीया ही अपने हिस्से की भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है इस कारण प्रथम दृष्टया एवं सुविधा संतुलन के बिन्दु प्रार्थीया के पक्ष में है और यदि प्रार्थीया के हिस्से की जमीन को प्रतिवादी संख्या 3, 4 द्वारा विक्रय कर दी गई तो प्रार्थीया को अशोधनीय क्षति होगी जिसका नकद में मूल्यांकन करना कतई संभव नहीं होगा। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीया के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 3, 4 के विरूद्व ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि विपक्षी संख्या 1 से 5 प्रार्थीया के हक व अधिकार आधिपत्य की प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट क, ख, ग, घ की आराजीयात में किसी भी तरह दखलन्दाजी स्वयं नहीं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

करे, न ही बैह, बक्षीस मुन्तकिल करे, न ही किसी नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से हस्तक्षेप करें।

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के मौरूस खरता डांगी के समय की होना तथा खरता डांगी द्वारा उसके जीवनकाल में भूमि पर काबिज होकर काश्त करना तथा खरता डांगी का निधन आज से 70–72 वर्ष पहले होना सही होकर स्वीकार हैं। इसी तरह से खरता डांगी के एकमात्र पुत्र भेरा होना तथा खरता के निधन के समय भेरा डांगी की उम्र 7 वर्ष होकर नाबालिग अवस्था में होना तथा राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रभावी होने से पूर्व ही हमारे पूर्वज का निधन होना स्वीकार हैं। इसी तरह प्रार्थीया का यह कहना भी स्वीकार है कि राजस्व अभिलेख की प्रथम जमाबन्दी तैयार करते समय भेरा पिता खरता डांगी का नाम ही अंकित हो गया। वादग्रस्त भूमि भेरा की खरीदशुदा भूमि नहीं होना तथा न ही भेरा की खरीदसुदा सम्पति होना स्वीकार हैं। उक्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षीगण की मौरूसी जायदाद होकर हमारे पूर्वज खरता जी के समय की हैं। हमारे पूर्वज खरता जी के निधन के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा अभिलेख तैयार किया गया उसमें भेरा का नाम अंकित कर दिया जो स्वीकार हैं। इसी तरह से वादग्रस्त भूमि खरता के समय की होना तथा प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 की मौरूसी जायदाद होना तथा भेरा का निधन दिनांक 03.05.2016 की होना स्वीकार हैं।

8. वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 तथा भेरा का समान हक हिस्सा होना स्वीकार हैं। प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा होना तथा मुझ विपक्षी संख्या 1 का 1/6 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 2, 3, 5 प्रत्येक का भी 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा होना स्वीकार है तथा मृतक खातेदार भेरा का भी 1/6 हिस्सा होना स्वीकार हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के पिता/पति भेरा डांगी सम्पूर्ण भूमि यानि 1/6 हिस्से से अधिक भूमि विक्रय हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। मृतक खातेदार भेरा ने बिना अधिकार के अपने जीवनकाल में दिनांक 04.03.2008 को एवं 25.02.2008 को नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित करना स्वीकार है तथा मृतक खातेदार भेरा द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 1/6 हक हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र की प्रार्थना में मांगी गयी शेष प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

9. **विपक्षी संख्या 1 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर** निवेदन किया कि मौजा गादोली तहसील मावली में स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के मौरूस खरता डांगी के समय की होकर खरता डांगी अपने जीवनकाल में काबिज होकर बतौर खातेदारी हक से काश्त करते थे तथा खरता जी डांगी का निधन आज से करीब 70–72 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा खरता जी के एकमात्र पुत्र प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के पिता/पति भेराजी थे। भेराजी की उम्र हमारे मौरूस खरता जी डांगी के निधन के समय 7–8 वर्ष की होकर नाबालिग अवस्था में थे तथा जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी हुआ जब हमारे दादाजी का निधन होने से वादग्रस्त भूमि हमारे पिता भेरा जी के नाम पर राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दी जबकि वादग्रस्त भूमि न तो भेरा जी की स्वअर्जित सम्पति है और न ही खरीदसुदा हैं। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 का समान हक हिस्सा बनता है इसी समान हक हिस्से अनुसार प्रार्थीया का 1/6 हक हिस्सा तथा मुझ विपक्षी संख्या 1 का भी 1/6 हक हिस्सा बनता है इसी तरह विपक्षी संख्या 2, 3, 5 प्रत्येक का भी 1/6 हक हिस्सा बनता है तथा मृतक खातेदार भेरा का भी 1/6 हिस्सा बनता हैं। विपक्षी संख्या 4 का कोई हक हिस्सा नहीं बनता हैं।

10. यह कि मृतक खातेदार भेरा पिता खरता डांगी द्वारा दिनांक 04.03.2008 एवं दिनांक 25.02.2008 को विपक्षी संख्या 5 के पक्ष में बिना अधिकार के कथित नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये जो मृतक खातेदार के बिना अधिकार के होकर मृतक खातेदार के हिस्से से अधिक भूमि का किया गया हस्तान्तरण एबइनीशियों वोईड होकर शून्य प्रभावी है तथा मृतक खातेदार भेरा द्वारा 1/6 हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 के हिस्से को कतई प्रभावित नहीं करता हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 की मौरूसी जायदाद होने से विपक्षी संख्या 1 का 1/6 हक हिस्सा बनता है तथा इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विपक्षी संख्या 1 के नाम पर दर्ज नहीं होने से उसके हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है इसलिए विपक्षी संख्या 1 वादग्रस्त भूमि में अपने 1/6 हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है तथा साथ ही विपक्षी संख्या 4 गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरण करने की धमकीयां दे रहे है तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है और इसका विपक्षी संख्या 2, 3, 5 भी सहयोग कर रहे है ऐसी दशा में विपक्षी संख्या 2 से 5 तक के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी हूं। मुझ विपक्षी की [illegible] क्लेम कारण प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न [illegible] निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

किया कि मुझ विपक्षी संख्या का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 2 से 5 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 2 से 5 मुझ विपक्षी संख्या 1 को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे एवं विपक्षी संख्या 4 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावे, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें।

11. **विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया** कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया व विपक्षीगणों के मौरूस खरता के समय की नही होकर प्रथम जमाबन्दी से ही भेरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है अर्थात् प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात कभी भी खरता के नाम नहीं रही है प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात भेरा की स्व. अर्जित सम्पति होकर भेरा को उक्त आराजीयात को अपनी जायज जरूरीयात हेतु विक्रय हस्तान्तरण करने का पूरा हक व अधिकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात भेरा के नाम न तो खरता की विरासत से प्राप्त हुई है न ही भेरा की मौरूसी जायदाद है जब प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि भेरा की मौरूसी जायदाद ही नहीं है तो प्रार्थीया का उक्त जायदाद में हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। भेरा ने अपने जीवनकाल में प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट घ में अंकित आराजीयात सम्पूर्ण दिनांक 25.02.2008 को बिल एवज 12,00,000/— रूपये में विपक्षी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 को सिपूर्द कर दिया तब से उक्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 3 व 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसी तरह प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट क व ख में वर्णित आराजीयात भी भेरा ने दिनांक 04.03.2008 को विपक्षी संख्या 5 को 3,00,000/— रूपये में विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा कब्जा विपक्षी संख्या 4 को सिपूर्द कर दिया तब से विपक्षी संख्या 4 उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हैं।

12. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात न तो प्रार्थीया व अन्य विपक्षीगणों की मौरूसी जायदाद है न ही प्रार्थीया का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार है। प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 ने उक्त आराजीयात में अपना हक नहीं होने का सहमति पत्र (हकत्याग पत्र) दिनांक 11.10.2000 को विपक्षी संख्या 3 व 4 के पक्ष में 100/—रूपये के स्टाम्प पर लिख अपना अंगुष्ठ निशानी कर पब्लिक नोटेरी से नोटेरी सहमति पत्र (हकत्याग पत्र) की करवा विपक्षी संख्या 3 व 4 को उक्त लिखापढी सिपूर्द कर दी व भविष्य में भी उक्त आराजीयात में किसी प्रकार की कोई हक व अधिकार नहीं होना अंकित कर दिया। इस तरह प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात शुरू से ही भेरा के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज थी व भेरा को उक्त आराजीयात अपनी आवश्यकता अनुसार विक्रय हस्तान्तरण करने का कानूनी अधिकार होने से भेरा ने विपक्षी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया है इसलिए प्रार्थीया का उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा है जब उक्त आराजीयात प्रार्थीया की मौरूसी जायदाद ही नहीं है व प्रार्थीया स्वयं ने अपना हिस्सा नहीं होना स्वीकार किया है तो 1/6 हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है न प्रार्थीया का उक्त हिस्से पर कभी किसी प्रकार का कोई कब्जा ही रहा है आज भी कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 का होकर विपक्षी संख्या 3 व 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

13. यह कि एक खातेदार को अपनी जायज जरूरीयात हेतु अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने का पूरा हक व अधिकार है व भेरा को भी अपनी जायज एवं जरूरत हेतु अपने नाम दर्ज भूमि को विक्रय हस्तान्तरण करने का पूरा हक व अधिकार होने से भेरा ने अपने नाम दर्ज भूमि को विपक्षी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया है व विपक्षी संख्या 3 व 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार होकर विपक्षी संख्या 3 व 4 उक्त आराजीयात का उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की मौरूसी जायदाद नहीं है जब प्रार्थीया की प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौरूसी जायदाद ही नहीं है तो प्रार्थीया का उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता है खातेदार भेरा द्वारा अपने नाम दर्ज भूमि को अपनी आवश्यकतानुसार विक्रय राशि प्राप्त कर दिनांक 04.03.2008 एवं 25.02.2008 को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन विधि अनुसार करवा विक्रय पत्र में वर्णित आराजीयात का कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 को सिपूर्द कर दिया है इसलिए जब तक प्रार्थीया विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2008 व 25.02.2008 को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेती तब तक प्रार्थीया का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं।

14. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की मौरूसी जायदाद नहीं है व खातेदार भेरा द्वारा विपक्षी संख्या 3 व 4 को जरिये विक्रय पत्र से विक्रय कर कब्जा सिपूर्द किया गया है इसलिए ऐसा विक्रय पत्र एबियोनिश्यों वॉयड की श्रेणी में नहीं आता है न शून्य प्रभावी है कानूनन विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को है इसलिए भी प्रार्थीया का वाद चलने योग्य नहीं हैं। विपक्षी संख्या 3 व 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के सन् 2008 से खातेदार काश्तकार है व प्रार्थीया स्वयं अपने वाद में यह स्वीकार कर रही है कि उक्त आराजीयात शुरू से ही भेरा के नाम है व है तथा भेरा को खरता की विरासत से उक्त आराजीयात प्राप्त नहीं हुई है ऐसी अवस्था में जब प्रार्थना पत्र में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Shri Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

आराजीयात प्रार्थीया की मौरूसी जायदाद ही नहीं है तो प्रार्थीया के हक अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड रहा है, न प्रार्थीया भेरा की स्वअर्जित सम्पति में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार ही रखती है, न प्रार्थीया अपने हक व अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारी हैं। विपक्षी संख्या 3 व 4 सन् 2008 से खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का उपयोग उपभोग प्रार्थीया की जानकारी में करते चले आ रहे है व प्रार्थीया ने भी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में अपना हक व हिस्सा नहीं होने का सहमति पत्र भी विपक्षी संख्या 3व 4 के पक्ष में 100/– रूपये के स्टाम्प पर निष्पादित कर दिया है व नोटेरी पब्लिक से नोटेरी करवा दिया है। ऐसी अवस्था में न तो प्रार्थीया का पूर्व में कोई हिस्सा था न ही वर्तमान में कोई हक व अधिकार है तथा कानूनन खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की कोई स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। प्रार्थीया का एक इंच मात्र भूमि पर भी कब्जा नहीं है व बिना कब्जे के प्रार्थीया को स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हैं।

15. यह कि प्रार्थीया का कोई प्राइमाफेसी केस व सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में नहीं है क्योंकि विपक्षी संख्या 3व 4 प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार काश्तकार है व खातेदार काश्तकार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नहीं की सकती है यदि विपक्षी संख्या 3 व 4 के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तो विपक्षी संख्या 3 व 4 को नुकसान व क्षति होगी जिसका मूल्यांकन नकदी में किया जाना संभव नहीं है। यदि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीया को कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी। प्रार्थीया का घोषणा का वाद है व घोषणा के वाद में सहखातेदार आवश्यक पक्षकार है इसलिए प्रार्थीया ने सहखातेदारों को अपने वाद में पक्षकार नहीं बनाये है। इसलिए प्रार्थीया का वाद आवश्यक पक्षकारों के कुसंयोजन के अभाव में खारिज होने योग्य है। विक्रय पत्र को शून्य घोषित करने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर सिविल न्यायालय को हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

16. **विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि वादग्रस्त आराजीयात प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 5 के मौरूस खरता डांगी के समय की होना तथा खरता डांगी द्वारा उसके जीवनकाल में भूमि पर काबिज होकर काश्त करना तथा खरता डांगी का निधन आज से 70–72 वर्ष पहले होना सही होकर स्वीकार हैं। इसी तरह से खरता डांगी के एकमात्र पुत्र भेरा होना तथा खरता के निधन के समय भेरा डांगी की उम्र 7 वर्ष होकर नाबालिग [illegible] होना तथा राजस्थान काश्तकारी कानून के प्रभावी होने से पूर्व ही हमारे पूर्वज का [illegible] होना स्वीकार हैं। प्रार्थीया का यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

कहना भी स्वीकार है कि राजस्व अभिलेख की प्रथम जमाबन्दी तैयार करते समय भेरा पिता खरता डांगी का नाम ही अंकित हो गया। वादग्रस्त भूमि भेरा की खरीदसुदा भूमि नहीं होना तथा न ही भेरा की खरीदसुदा सम्पति होना स्वीकार हैं। उक्त भूमि प्रार्थी व विपक्षीगण की मौरूसी जायदाद होकर हमारे पूर्वज खरता जी के समय की है। हमारे पूर्वज खरता जी के निधन के बाद राजस्व कर्मचारियों द्वारा अभिलेख तैयार किया गया उसमें भेरा का नाम अंकित कर दिया जो स्वीकार हैं। इसी तरह से वादग्रस्त भूमि खरता के समय की होना तथा प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 की मौरूसी जायदाद होना तथा भेरा का निधन दिनांक 03.05.2016 को होना स्वीकार हैं।

17. यह कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 तथा भेरा का समान हक हिस्सा होना स्वीकार है। प्रार्थीया का वादग्रस्त भूमि में 1/6 हिस्सा होना तथा मुझ विपक्षी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा तथा विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का भी 1/6, 1/6, 1/6 हिस्सा होना स्वीकार है। मृतक खातेदार भेरा का भी 1/6 हिस्सा होना स्वीकार हैं। वादग्रस्त भूमि को प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के पिता/पति भेरा डांगी सम्पूर्ण भूमि यानि 1/6 हिस्से से अधिक भूमि विक्रय हस्तान्तरण करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। मृतक खातेदार भेरा ने बिना अधिकार के अपने जीवनकाल में दिनांक 04.03.2008 को एवं 25.02.2008 को नुमाईशी विक्रय पत्र विपक्षी संख्या 4 के पक्ष में निष्पादित करना स्वीकार है तथा मृतक खातेदार भेरा द्वारा वादग्रस्त भूमि में से 1/6 हक हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की प्रार्थना में मांगा गया अनुतोष प्रार्थीया प्राप्त करने की अधिकारीणी हैं।

18. **विपक्षी संख्या 4 द्वारा काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि मौजा गादोली तहसील मावली में स्थित वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के मौरूस श्री खरता डांगी के समय की होकर श्री खरता डांगी अपने जीवनकाल में काबिज होकर बतौर खातेदारी हक से काश्त करते थे तथा खरता जी डांगी का निधन आज से करीब 70–72 वर्ष पूर्व हो चुका है तथा खरता जी के एकमात्र पुत्र प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के पिता/पति भेरा जी थे। भेराजी की उम्र हमारे मौरूस खरता जी डांगी के निधन के समय 7–8 वर्ष की होकर नाबालिग अवस्था में थे तथा जब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभावी हुआ जब हमारे दादाजी का निधन होने से वादग्रस्त भूमि हमारे पिता भेरा जी के नाम पर राजस्व कर्मचारियों ने दर्ज कर दी जबकि वादग्रस्त भूमि न तो भेराजी की स्वअर्जित सम्पति है और न ही खरीदसुदा हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 का 1/6 हक हिस्सा बनता है इसी समान हक हिस्से अनुसार प्रार्थीया का 1/6 हक हिस्सा तथा मुझ विपक्षी संख्या 5 का भी 1/6

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

हक हिस्सा बनता है इसी तरह विपक्षी संख्या 1 से 3 प्रत्येक का भी 1/6 हक हिस्सा बनता हैं तथा मृतक खातेदार भेरा का भी 1/6 हिस्सा बनता हैं। विपक्षी संख्या 4 का कोई हक हिस्सा नहीं बनता हैं।

19. यह कि मृतक खातेदार भेरा पिता खरता डांगी द्वारा दिनांक 04.03.2008 एवं दिनांक 25.02.2008 को विपक्षी संख्या 4 के पक्ष में बिना अधिकार के कथित नुमाईशी विक्रय पत्र निष्पादित कर दिये जो मृतक खातेदार के बिना अधिकार के होकर मृतक खातेदार के हिस्से से अधिक भूमि का किया गया हस्तान्तरण एबइनीशियों वोईड होकर शून्य प्रभावी है तथा मृतक खातेदार भेरा द्वारा 1/6 हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 5 के हिस्से को कतई प्रभावित नहीं करता हैं। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 5 की मौरूसी जायदाद होने से विपक्षी संख्या 5 का 1/6 हक हिस्सा बनता हैं तथा इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 काबिज होकर काश्त करते आ रहे है लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विपक्षी संख्या 5 के नाम पर दर्ज नहीं होने से उसके हक अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है इसलिए विपक्षी संख्या 5 वादग्रस्त भूमि में अपने 1/6 हक हिस्से की खातेदारी की घोषणा करवाने की अधिकारीणी है तथा साथ ही विपक्षी संख्या 4 गलत इन्द्राज के आधार पर वादग्रस्त भूमि को किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को हस्तान्तरण करने की धमकीयां दे रहे है तथा खुर्द बुर्द करने पर आमादा है ऐसी दशा में विपक्षी संख्या 5 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने की अधिकारीणी हूं। मुझ विपक्षी का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं।

20. यह कि मुझ विपक्षी को काउन्टर क्लेम कारण प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 4 के विरूद्व इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में विपक्षी संख्या 4 मुझ विपक्षी संख्या 5 को मेरे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, किसी प्रकार की दखलन्दाजी पैदा नहीं करे एवं विपक्षी संख्या 4 अपने नाम दर्ज भूमि को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें, मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनाये रखें।

21. **प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 व 5 के जवाब का जवाबुल जवाब पेश कर निवेदन किया** कि मुझ प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र में जो सजरा दर्शाया है वह सही हैं। वादग्रस्त आराजीयात मुझ प्रार्थीया एवं विपक्षीगण की मौरूसी जायदाद सम्पति है जो कि खरता के समय से चली आ रही हैं। वादग्रस्त सम[illegible] मौरूस खरता द्वारा बनाई हुई है और खरता अपने पूरे जीवनकाल तक अपनी [illegible] वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

उपयोग उपभोग करते रहे थे लेकिन खरता के एक पुत्र भेरा डांगी ही था जिस वजह से खरता ने उक्त जमीन को अपने नाम पर नहीं कराकर अपने प्रेमवश अपने इकलोते पुत्र भेरा डांगी के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकित कराई थी जिससे उक्त आराजीयात हमारी पैतृक सम्पति हुई है और इसमें मुझ प्रार्थीया के जायज हक अधिकार निहित है और मैं प्रार्थीया अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करती चली आ रही हूं। उक्त आराजीयात न तो भेरा द्वारा निर्मित की हुई है, न ही भेरा की खरीदी हुई है जिससे उक्त सम्पति भेरा की स्वअर्जित नहीं है, न ही ऐसा माना जा सकता हैं। विपक्षीगण जिस कथित भूमि के विक्रय का वर्णन कर रहे है वह भूमि भेरा ने कभी भी इन विपक्षीगण को विक्रय नहीं की थी, न ही कथित राशि इनके द्वारा भेरा को दी गई थी। भेरा द्वारा जो विक्रय हस्तान्तरण किया गया है वह नुमाईशी है क्योंकि उक्त सम्पति पैतृक हैं जिससे भेरा को अपने हिस्से से अधिक भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरित करने का कोई अधिकार नहीं था। भेरा द्वारा जो नुमाईशी हस्तान्तरण किया गया है वह मेरे मुकाबले शून्य एवं निष्प्रभावी हैं। भेरा के पुत्र संतान नहीं होकर हम पुत्रीयां ही थी और हम सभी पुत्रीयां बराबर–बराबर रूप से भेरा की सेवा सुश्रुषा करती आयी थी और भेरा को अपने जीवनकाल में ऐसा कोई कार्य नहीं करना था जिसमें इतनी बडी राशि की जरूरत हो और उस राशि की पूर्ति के लिये हमारी पैतृक सम्पति को बेचना अनिवार्य हों।

22. यह कि विपक्षी द्वारा जवाब में दिनांक 11.10.2000 को निष्पादित सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) का वर्णन किया गया है जो सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3, 5 के पक्ष में निष्पादित करना बताया है जो कि गलत है। मुझ प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 3, 5 के पक्ष में उक्त भूमि के सम्बन्ध में कभी भी सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) निष्पादित नहीं किया हैं। विपक्षीगण द्वारा उक्त दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किया हुआ हैं। वैसे तो कथित सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) मुझ प्रार्थीयां द्वारा निष्पादित नहीं किया है, न ही उक्त तारीख को मुझ प्रार्थीयां को इस प्रकार का कोई दस्तावेज निष्पादित करने का अधिकार ही था किन्तु इस दस्तावेज से भी यह प्रकट होता है कि उक्त जायदाद हमारी मौरूसी है और इसमें मेरे हक अधिकार निहित हैं। यदि उक्त जायदाद में मेरा कोई हक अधिकार नहीं होता तो विपक्षीगण को उक्त कथित फर्जी दस्तावेज तैयार करने की जरूरत नहीं पडती। कथित फर्जी दस्तावेज से भी विपक्षीगण ने इस बात की स्वीकृति दी है कि उक्त आराजीयात मेरी पैतृक सम्पति है और इसका उपयोग उपभोग मेरे द्वारा निर्बाध रूप से किया जाता रहा है। विपक्षीगण द्वारा इस प्रकार से अपने जवाब में [illegible] अंकित करना और इस प्रकार से फर्जी दस्तावेज तैयार कराने का मुख्य उद्देश्य [illegible] पैतृक जायदाद को येनकेन प्रकारेण

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

हथियाने का ही रहा है जबकि विपक्षीगण या भेरा को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, न हैं। मैं प्रार्थीया अपने पिता के जीवनकाल से ही अपने हक हिस्से की पैतृक जायदाद पर निर्बाध रूप से काबिज चली आ रही हूं और मैने अब तक अपने हक हिस्से की जायदाद पर फर्दन–फर्दन काफी लागत भी लगाई हैं।

23. यह कि विपक्षीगण का इस कुलिया जायदाद पर कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है, न ही कुलिया जायदाद का विपक्षीगण द्वारा उपयोग उपभोग किया जा रहा हैं क्योंकि उक्त जायदाद मेंरी पैतृक सम्पति है और मैं प्रार्थीया अपने पिता के जीवनकाल से लगाकर आज तक निर्बाध रूप से अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज चली आ रही हूं। भेरा द्वारा जो हस्तान्तरण किया गया है वह नुमाईशी है क्योंकि भेरा को अपने हिस्से से अधिक का हस्तान्तरण करने का कोई अधिकार नहीं था। वादगत आराजीयात हमारी मौरूसी जायदाद है और उक्त मौरूसी जायदाद के सम्बन्ध में भेरा द्वारा जो हस्तान्तरण किया गया है वह नुमाईशी होकर मेरे मुकाबले कोई प्रभाव नही रखता है और ऐसा हस्तान्तरण मेरे हक अधिकारों के मुकाबले स्वतः ही शून्य निष्प्रभावी हैं। ऐसी स्थिति में मैं प्रार्थीया कथित नुमाईशी विक्रय पत्र निरस्त कराने हेतु कानूनी तौर पर बाध्य नहीं हूं। कब्जा मेरे हिस्से की भूमि पर मेरे पिता के जीवनकाल से ही मेरा चला आ रहा है और आज भी मुझ प्रार्थीया का ही कब्जा काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं। वादग्रस्त भूमि हमारी पैतृक सम्पति है और भेरा द्वारा उसके हिस्से से अधिक का नुमाईशी हस्तान्तरण किया गया जो नुमाईशी होकर एबियोनिश्यों वोइड होकर शून्य प्रभावी है और ऐसे शून्य एवं अवैध दस्तावेज के आधार पर विपक्षी संख्या 3, 5 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है, न ही हो सकते हैं।

24. यह कि वादगत भूमि हमारी पैतृक सम्पति है जिसमें मुझ प्रार्थीया के हक अधिकार निहित है जिस तथ्य को स्वयं विपक्षी संख्या 3 व 5 ने फर्जी तरीके से तैयार कराये गये सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) के जरिए भी पुष्ट किया हैं। वादग्रस्त भूमि भेरा की स्वअर्जित नहीं है बल्कि खरता द्वारा बनाई हुई है जो खरता के जीवनकाल से चली आ रही है और खरता से ही भेरा को प्राप्त हुई है जो कि प्रकट रूप से पैतृक सम्पति होने की पुष्टि करता है जबकि इसके विपरित विपक्षीगण द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह माना जा सके कि उक्त जायदाद भेरा की स्वअर्जित है या भेरा द्वारा निर्मित की हुई हैं। कथित सहमति पत्र फर्जी है जो मेरी पैतृक सम्पति को हथियाने की नियत से विपक्षी संख्या 3, 5 द्वारा फर्जी तरीके से बनाया हैं। मैने कभी भी ऐसा कोई सहमति पत्र विपक्षी संख्या 3, 5 के पक्ष में निष्पादित नहीं किया है, न ही उस वक्त तथाकथित सहमति पत्र निष्पादित करने का कोई अधिकार प्राप्त था क्योंकि उस वक्त उक्त भूमि मेरे नाम पर अविभक्त नहीं थी। विपक्षीगण द्वारा इस प्रकार का फर्जी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

दस्तावेज तैयार करके उक्त जायदाद मेरी पैतृक होने एवं इसमें मेरा हिस्सा होना स्वीकार किया है और स्वयं द्वारा किये गये अभिवचनों के मुकाबले कोई ठोस साक्ष्य इस बाबत् नहीं हो सकती हैं। मेरा द्वारा नुमाईशी तौर पर अपने हिस्से से अधिक का नुमाईशी हस्तान्तरण किया है और इसकी आड लेकर विपक्षी संख्या 3, 5 मेरे हिस्से व कब्जे की भूमि के उपयोग उपभोग में दखलन्दाजी कर व्यवधान पहुंचा रहे है और कब्जा करने पर आमादा है इसलिए विपक्षीगण को उक्त अवैधानिक कृत्य करने से रोकने के लिए इनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना आवश्यक होकर न्याय संगत हैं।

25. यह कि विपक्षी संख्या 3 व 5 का कुलिया भूमि पर कभी कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है, न ही वर्तमान में है किन्तु विपक्षीगण कथित नुमाईशी दस्तावेज की आड लेकर कुलिया भूमि पर कब्जा करने पर उतारू है और पहले भी ऐसा असफल प्रयास कर चुके है जिससे वाद कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। प्रार्थीयां ने अपने अधिकारों की रक्षार्थ स्वच्छ हाथों से यह प्रकरण प्रस्तुत किये है जिससे प्रार्थीया का प्रथम दृष्टया मामला होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थीया के पक्ष में है। विपक्षीगण द्वारा नुमाईशी दस्तावेज की आड लेकर अपने नाम रेकार्ड में अंकित कराये है जबकि विपक्षीगण का मौके पर कुलिया जमीन पर कोई कब्जा उपयोग नहीं रहा है, न है। फिर भी ये ताकत के बल पर कुलिया जमीन पर काबिज होना चाहते है इसलिए इनके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षीगण को किसी भी प्रकार की क्षति या नुकसान होने वाला नहीं हैं। प्रार्थीया द्वारा अन्य सहखातेदारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई दाद नहीं चाही है जिससे अन्य सहखातेदारों को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया हैं। प्रार्थीया ने अपने वाद में किसी भी प्रकार से पक्षकार का कुसंयोजन नहीं किया हैं। प्रार्थीया का वाद पूर्ण रूपेण विधि अनुरूप होकर पोषणीय है और डिक्री किये जाने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 3 व 5 के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे और विपक्षी संख्या 3 व 5 को पाबंद फरमाया जावें।

26. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र एवं जवाबुल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त RRT 2004 (1) Page 590, RRT 2009 (1) Page 141, RRT 2015 (1) Page 139, RRT 2019 (2) Page 1089 पेश कर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगण द्वारा लिखित बहस मय न्यायिक दृष्टान्त RRD 2007 Page 915, RRD 2010 (2) Page 1392, RRT 2009 [illegible] Page 1327, RRT 2018 (1) Page 654 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी खाते के खातेदार मेरा पिता खरता डांगी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

था। उक्त आराजीयात भेरा को खरता की विरासत से प्राप्त नहीं हुई है, न कभी खरता के नाम उक्त आराजीयात दर्ज रही है, प्रथम जमाबन्दी से ही उक्त आराजीयात भेरा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी व प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात भेरा की स्वअर्जित सम्पति है तथा भेरा की उक्त आराजीयात स्वअर्जित होने से भेरा को अपनी जायज जरूरीयात हेतु उक्त आराजीयात को विक्रय हस्तान्तरण करने का पूरा कानूनी हक व अधिकार हैं। उक्त आराजीयात भेरा की स्वअर्जित सम्पति होने से प्रार्थीया द्वारा यह कहना कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौरूसी है, गलत हैं। प्रार्थीया ने मौरूसी होने का एक भी दस्तावेज पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया हैं। प्रार्थीया केवल मात्र मौखिक रूप से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को मौरूसी कहकर आई है जबकि मौरूसी होने के लिये अपने मौरूस के समय की जमाबन्दी या दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है जो प्रार्थीया ने प्रस्तुत नहीं किया हैं। जब प्रार्थीया के पास मौखिक कहने मात्र से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात मौरूसी नहीं मानी जा सकती है, जब प्रार्थीया की उक्त आराजीयात मौरूसी ही नहीं है तो प्रार्थीया का उक्त आराजीयात में कोई हक व अधिकार नहीं हैं।

27. यह कि खातेदार भेरा पिता खरता डांगी ने अपने जीवनकाल में प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट घ में वर्णित आराजीयात सम्पूर्ण दिनांक 25.02.2008 को बिल एवज 12,00,000/– रूपये में विपक्षी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 को सिपूर्द कर दिया तब से उक्त आराजीयात पर विपक्षी संख्या 3 व 4 काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है इसी तरह प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क व ख में वर्णित आराजीयात भी भेरा ने दिनांक 04.03.2008 को विपक्षी संख्या 4 को 3,00,000/– रूपये में विक्रय कर विक्रय पत्र का पंजीयन करवा कब्जा विपक्षी संख्या 4 को सिपूर्द कर दिया तब से विपक्षी संख्या 4 उक्त आराजीयात पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है ऐसी अवस्था में प्रार्थीया का उक्त आराजीयात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है, न कब्जा है, खातेदार भेरा ने उक्त आराजीयात विक्रय की तब कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 को सिपूर्द कर दिया व आज भी कब्जा विपक्षी संख्या 3 व 4 का है ऐसी अवस्था में बिना कब्जे के प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की कानूनी हक व अधिकारी नहीं है। विपक्षी संख्या 3 व 4 रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसके सम्बन्ध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निम्न निर्णय पारित किये है जिसका मुलायजा फरमाया जावें।

- आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1392

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

- आर.आर.टी. 2009 (2) पेज 1327
- आर.आर.टी. 2018 (1) पेज 654

उक्त निर्णय में राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विभिन्न निर्णय में प्रतिपादित किया है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व किसी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है रिकार्डेड खातेदार को अपना हिस्सा विक्रय करने का पूरा कानूनी हक व अधिकार हैं। रिकार्डेड खातेदार को अपना हिस्सा विक्रय करने के लिये नहीं रोका जा सकता हैं।

28. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के सम्बन्ध में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 ने उक्त आराजीयात में अपना हक नहीं होने का सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) दिनांक 11.10.2000 को विपक्षी संख्या 3 व 4 के पक्ष में 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिख अपना अंगुष्ठ निशानी कर पब्लिक नोटेरी से नोटेरी सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) करवा विपक्षी संख्या 3 व 4 को उक्त लिखापढी सिपूर्द कर दिया तथा प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 ने यह भी स्वीकार किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में भविष्य में उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई हक व अधिकार हमारा नहीं रहेगा। इस बाबत् भी सहमति पत्र व हकत्याग पत्र के जरिये अपनी सहमति विपक्षी संख्या 3 व 4 के पक्ष में दे दी थी, ऐसी अवस्था में कानूनन ''साक्ष्य अधिनियम में यह प्रावधान है कि खुद की स्वीकारोक्ति (Admission) से बडी कोई शहादत नहीं होती है'' इसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल डबल बेंच द्वारा RRD 2007 पेज 915 पर निर्णय पारित किया गया है जिसको मुलायजा फरमाया जाना आवश्यक है चूंकि स्वयं की स्वीकारोक्ति के सामने दूसरी सभी दलीलें प्रभावहीन हैं। ऐसी अवस्था में प्रार्थीया स्वयं ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में कोई हक व अधिकार न तो है, न भविष्य में रहेगा। इसलिए भी प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात में कोई हक प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, न प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी ही की जा सकती हैं।

29. यह कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात जब मौरूसी ही नहीं है तो प्रार्थीया का 1/6 हिस्सा होने का प्रश्न ही नहीं उठता हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के खातेदार भेरा द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार विक्रय राशि प्राप्त दिनांक 04.03.2008 व 25.02.2008 को प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात को विपक्षी संख्या 3 व 4 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया व उपरोक्त विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 3 व 4 रिकार्डेड खातेदार है इसलिए जब तक प्रार्थीया उक्त विक्रय पत्रों को सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करा लेती, तब तक प्रार्थीया किसी प्रकार की कोई दाद या अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

करने की अधिकारी नहीं हैं। विपक्षी संख्या 3 व 4 सन् 2008 से खातेदार काश्तकार है व खातेदार काश्तकार के विरूद्व बिना कब्जे के किसी प्रकार का कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता हैं।

30. यह कि प्रार्थीया का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है जब प्रार्थीया का प्राईमाफेसी केस ही नहीं है तो सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में जारी नहीं की जाती है तो प्रार्थीया को कोई असुविधा नहीं होगी बल्कि विपक्षी संख्या 3, 4 जो रिकार्डेड खातेदार है जिनके विरूद्व यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी संख्या 3 व 4 को काफी असुविधा होगी, ऐसी अवस्था में प्राइमाफैसी केस विपक्षी संख्या 3 व 4 का है, विपक्षी संख्या 3 व 4 रिकार्डेड खातेदार है तथा प्रार्थीया द्वारा विपक्षी संख्या 3 व 4 के पक्ष में अपनी स्वीकारोक्ति भी दे रखी है इसलिए प्रार्थीया का कथित प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। प्रार्थीया ने कथित प्रार्थना पत्र दिनांक 24.10.2016 को प्रस्तुत किया जो आज दिन तक विचाराधीन था अर्थात् 9 वर्ष तक उक्त प्रकरण विचाराधीन था तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थीया के पक्ष में जारी नहीं थी, बिना अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थीया को कोई असुविधा नहीं हुई न कोई नुकसान हुआ तो अब अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से किसी प्रकार कोई नुकसान व क्षति नहीं होगी। यदि प्रार्थीया का प्राईमाफेसी केस होता तो प्रार्थीया 9 वर्ष में कभी भी विपक्षी संख्या 3 व 4 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने हेतु न्यायालय से निवेदन करती, इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थीया का किसी प्रकार का कोई प्राईमाफेसी केस नहीं है व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से प्रार्थीया को किसी प्रकार की कोई असुविधा व क्षति नहीं होगी इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज होने योग्य हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीया का कथित प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

31. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से जाहिर आया कि ग्राम गादोली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 में वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे अनुसार प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के पिता/पति भेरा पिता खरता के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। उसके पश्चात् प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट क, ख व घ में वर्णित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2008 एवं [illegible].02.2008 से भेरा पिता खरता के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज हुई। विपक्षी संख्या 3 भेरा पिता खरता की पुत्री हैं। प्रकरण में सर्वप्रथम तो प्रार्थीया द्वारा बताये गये सजरे अनुसार मूल पुरूष खरता के एक पुत्र भेरा होना बताया। भेरा के वारिस में 4 पुत्रीया एवं 1 पत्नी होना बताया जो प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 व 5 हैं। भेरा का निधन हो गया हैं। प्रकरण में विपक्षीगण द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमें प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत सजरे को स्वीकार किया हैं। न्यायालय का मानना है कि यदि प्रार्थीया द्वारा सजरा गलत प्रस्तुत किया होता तो विपक्षीगण अवश्य ही उस पर आपत्ति प्रस्तुत करते अर्थात् विपक्षीगण द्वारा सजरे को स्वीकार किये जाने से प्रार्थीया द्वारा बताया गया सजरा सिद्ध पाया जाता हैं।

प्रार्थीया का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 की पैतृक सम्पति होकर प्रार्थीया का हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षी संख्या 1 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 की पैतृक सम्पति होकर विपक्षी संख्या 1 का हक हिस्सा निहित हैं। विपक्षी संख्या 3, 4 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि भेरा की पैतृक भूमि नहीं होकर स्वअर्जित सम्पति थी जिसे जायज जरूरीयात हेतु विक्रय, हस्तान्तरण करने का पूरा अधिकार हैं।

न्यायालय का मानना है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के पिता/पति भेरा पिता खरता के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। उसके पश्चात् प्रार्थना पत्र में वर्णित परिशिष्ट क, ख व घ में वर्णित भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.03.2008 एवं 25.02.2008 से भेरा पिता खरता के नाम दर्ज हिस्सा भूमि विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज होना संलग्न दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हैं।

प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के दादा/ससुर खरता का निधन वाद प्रस्तुती के समय 70–72 वर्ष पूर्व होना तथा खरता के निधन के समय प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 के पिता/पति भेरा की उम्र 7–8 वर्ष की होकर नाबालिग अवस्था में होना बताया। उक्त कथन को विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में भी किसी प्रकार से खण्डन नहीं कर स्वीकार किया गया हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि खरता की मृत्यु सन् 1946 के करीब हुई एवं भेरा का जन्म सन् 1939 के करीब होना जाहिर होता है। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत् 2010 में भेरा का नाम अंकित होना अर्थात् सम्वत् 2010 के समय भेरा की उम्र लगभग 14 वर्ष होकर नाबालिग होना जाहिर होता हैं। विपक्षी संख्या 3, 4 का कथन है कि वादग्रस्त भूमि भेरा की पैतृक भूमि नहीं होकर स्वअर्जित है तो प्रश्न यह है कि लगभग 14 वर्ष की उम्र में भेरा के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त भूमि स्वअर्जित कैसे हुई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षी संख्या 3 व 4 द्वारा लिखित बहस में कथन किया कि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 ने उक्त आराजीयात में अपना हक नहीं होने का सहमति पत्र (हकत्याग पत्र) दिनांक 11.10.2000 को विपक्षी संख्या 3 व 4 के पक्ष में 100/– रूपये के स्टाम्प पर लिख अपना अंगुष्ठ निशानी कर पब्लिक नोटेरी से सहमति पत्र (हकत्याग पत्र) करवा विपक्षी संख्या 3 व 4 को उक्त लिखापढी सिपूर्द कर दी, परन्तु प्रार्थीया द्वारा अपने जवाबुल जवाब में इस प्रकार का सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) निष्पादित नहीं किया जाना बताया हैं। यदि मान भी लिया जाये कि उक्त हक त्याग पत्र सही निष्पादित किया गया है तो उक्त सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) निष्पादित करने की आवश्यकता ही क्यों पडी, यदि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 की पैतृक भूमि नहीं थी तो ?

रहा प्रश्न सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) निष्पादित करने का तो प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 वक्त सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) वादग्रस्त भूमि के खातेदार ही नहीं थे तो सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि अपने नाम दर्ज भूमि का ही हक त्याग/विक्रय/रहन/बैह/बक्षीस/हस्तान्तरण आदि किया जा सकता हैं। वक्त सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) वादग्रस्त भूमि प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1, 2 के पिता भेरा के नाम दर्ज थी। उक्त सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) दिनांक 11.10.2000 को निष्पादित होना एवं भेरा की मृत्यु दिनांक 03.05.2016 को होना बताया हैं। इससे स्पष्ट होता है कि भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि की संभावना का हकत्याग पूर्व में नहीं किया जा सकता हैं। उक्त दस्तावेज सहमति पत्र (हक त्याग पत्र) अनरजिस्टर्ड होना जाहिर होता हैं।

UPREME COURT OF INDIA Civil Appeal No. Diary No. 32601 of 2018 D/d 11.08.2020 Vineeta Sharma-Appellants Versus Rakesh Sharma & Ors.- Respodents “Daughter has been recognized and treated ad a coparcener, with equal rights and liabilities ad that of a son – Coparcener right is by birth – Not at all necessary that the father of the daughter should be living on the date of the amendment.”

THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 – Devolution of interest in coparcenary property. – On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall, उक्त न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा होते हैं।

प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 द्वारा पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा चाही गई हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 3, 4 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 3, 4 वादग्रस्त भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

पैचिदगीया उत्पन्न होगी। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू –* प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किया गया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में से विपक्षी संख्या 3, 4 बाहुबल से प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 को बेदखल कर देते है या वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति अकृषि में परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 को अपूरणीय क्षति होगी।

विपक्षी संख्या 3, 4 का कथन है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई हैं। इस कारण से विपक्षी संख्या 3, 4 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। न्यायालय विपक्षी संख्या 3, 4 के इस कथन से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि प्रार्थीयां व विपक्षी संख्या 1 द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् घोषणा का वाद एवं काउन्टर वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 का वाद व काउन्टर वाद पैतृक भूमि में हिस्से की घोषणा का हैं जो मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीया एवं विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं।

32. इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीयां व विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 3, 4 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अधिवक्ता विपक्षी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नहीं होते हैं। प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट ग में वर्णित मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 की खाता संख्या 30 पर दर्ज आराजी नम्बर 1536 की वक्त निर्णय ऑनलाईन जमाबन्दी के अवलोकन से उक्त आराजी में प्रार्थीया व विपक्षी संख्या 1 से 3, 5 का नाम विरासत के आधार पर दर्ज होना जाहिर होता हैं। अतः उक्त आराजी में प्रार्थीया का नाम दर्ज होने से उक्त आराजी पर किसी प्रकार की अस्थाई [illegible] जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested

एवं प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आंशिक स्वीकार तथा विपक्षी संख्या 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 4 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा विपक्षी संख्या 1 का काउन्टर प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आंशिक स्वीकार किये जाकर विपक्षी संख्या 3, 4 के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गादोली पटवार हल्का गादोली तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2061—64 की खाता संख्या 28 पर दर्ज आराजी नम्बर 1441, 1505, 1533, 1534, 1535, 1559 किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, खाता संख्या 29 पर दर्ज आराजी नम्बर 1443 रकबा 7 बिस्वा एवं खाता संख्या 204 पर दर्ज आराजी नम्बर 1437, 1440, 1442, 1444, 1447, 1503, 1516, 1517, 1522, 1523, 1540, 1546, 1547, 1557 किता 14 कुल रकबा 25 बीघा 10 बिस्वा भूमि में विपक्षी संख्या 3, 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। साथ ही तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजीयात के सम्बन्ध में अन्य सहखातेदार के नामान्तरकरण इस स्थगन के सन्दर्भ में नहीं रोकें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.24 17:22:36 IST
Reason: SelfAttested